न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्र.सं. 20/2023
जीसीएमएस : 2023/44
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर श्रीगंगानगर । –:वादी

बनाम

1. उषा देवी पत्नी श्री प्रदीपकुमार जाति बोथरा निवासी गजसिंहपुर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
–:प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177–209–92क राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 23.01.2023

उपस्थितअधिवक्तागण
1. राजपैरोकार सरकार ।
2. श्री रविन्द्र बिश्नोई , गणेश लोहरा अधि. प्रति.सं. 1

–: निर्णय :– दिनांक :–23.01.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी भूमिस्वामी/भूमिधारक है तथा वादी को वादग्रस्त भूमि पर हर प्रकार की विधिक शक्तियां प्राप्त है। प्रतिवादिया के नाम चक 24 पीएस तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 53 पं.नं. 203/285 के कि.नं. 1 ता 4 कुल 1.012 है. नहरी भूमि है। वादग्रस्त भूमि का वादी भूस्वामी है तथा राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादी को उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है जिसके तहत प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि पर वादग्रस्त भूमि पर कृषि एवं कृषि से संबंधति कार्य करने के विस्तृत अधिकार मिले है। प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य ना करते हुए अकृषि कार्य किया जा रहा है और इसे आवासीय/व्यवसायिक/ वाणिज्यिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है व मौका पर मकान/दुकान/उद्योग बना/ चला रखे है प्रतिवादी का यह कृत्य विधि विरूद्व है। वादी के द्वारा जन कल्याणकारी उदे्शय के तहत भरपुर खद्यान्न उत्पन्न करने हेतु ज्यादा से ज्यादा कृषि योग्य भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जा रहे है ताकि आमजन को भरपुर खद्यान्न मिल सके तथा ज्यादा से ज्यादा कृषि उपज हो सके इसी उदेश्य के तहत प्रतिवादी को भी वादग्रस्त भूमि पर कृषि एवं उससें संबंधित कार्य करने हेतु खातेदारी अधिकार दिये थे और इसी अधिकार को प्रदान करते प्रतिवादी एवं वादी के मध्य विधि के तहत कृषि कार्य करने हेतु शर्त भी तय हुई थी जिनकी पालना प्रतिवादीगण द्वारा नहीं की गई है। प्रतिवादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कृषि से अन्य कार्य किये जा रहे है जो स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व है। अगर प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य के अलावा अन्य आवासीय एवं वाणिज्यिक कार्य के रूप में प्रयोग करना था तो यह भूमि का कृषि से अकृषि अथवा भूमि आवासीय अथवा वाणिज्यिक करवाकर प्रयोग में ले सकता है परन्तु प्रतिवादी द्वारा राजस्व को हानि पहुंचाने के उदेश्य से एवं स्वयं को लाभ पहुंचाने के उदेश्य से उपराक्त वादग्रस्त रकबा की किस्म परिवर्तन करवाया बिना गैर कानूनी रूप से प्रयोग किया जा रहा है अतः वाद–वादी विरूद्व प्रतिवादी पेशकर निवेदन है कि वाद –वादी विरूद्व प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे। कि चक 24 पीएस तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 53 पं.नं. 203/285 के कि.नं. 1 ता 4 कुल 1.012 है. नहरी भूमि की खातेदारी निरस्त कर सिवाय चक दर्ज करने एवं प्रतिवादी को बेदखल करने का आदेश प्रदान किया जावें।

2. वादी के द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बंधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादिया की ओर से रबिन्द्र बिश्नोइ अधिवक्ता ने हाजिर होकर प्रार्थना पत्र पेश किया है कि मेरे नाम से चक 24 पीएस तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 53 पं.नं. 203/285 के कि.नं. 1 ता 4 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:07:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

1.012 है. नहरी भूमि खातेदारी है जिसमें मेरे द्वारा काश्त की जा रही हैं। आज मौका पर ही फसल काश्त है उक्त भूमि पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा निर्माण दिखाते हुए इस न्यायालय में दावा पेश किया गया। जो मेरे को परेशान करने के लिए गलत पेश किया गया है। उक्त भूमि शहर के नजदीक की भूमि है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए तहसीलदार द्वारा मुझे परेशान करने के लिए उक्त दावा व अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो गलत किया है। उक्त प्रश्नगत भूमि पर आज ही मौका पर मेरी फसल काश्त है। अतः आप से निवेदन है कि उक्त प्रकरण को नजदीक तारीख पेशी में लेकर सुनवाई कर खारिज फरमाया जावें।

3. प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर इस न्यायालय के पत्र क्रमांकः राजस्व/2024/571 दिनांक 10.06.2024 से तहसीलदार रायसिंहनगर से पुनः मौका रिकार्ड की सूचना भिजवाने हेतु पत्र जारी किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/1282 दिनांक 02.09.2024 से अवगत करवाया कि उक्त रकबा पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय रायसिंहनगर के प्रकरण संख्या 13/2023 दिनांक 23.01.2023 द्वारा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन है तथा जमाबंदी में स्थगन का नोट अंकित है। मौका पर उक्त रकबा खाली है एवं कि. नं. 1 ता 4 के मध्य पक्की सड़क बनी हुई है। मुताबिक खसरा गिरदावरी संवत 2080 फसल रबी में सरसों की फसल काश्त है।

4. बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177–209–92 ए राज. का0 अधि. सुनी गई। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध भूमि के संबंध में तहसीलदार रायसिंहनगर ने अवगत भी कराया है कि मौके पर कोई निर्माण नहीं है बल्कि सड़क का निर्माण है धारा 177–209–92 ए का उद्देश्य काश्तकार को भूमि से बेदखल करना नहीं है अपितु बिना भूमि संपरिवर्तन करवाये एवं राजस्व जमा करवाये कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। इस भूमि को रकबा राज किया जाना कठोर कार्यवाही होगी।

5. अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177–209–92 ए आरटीएक्ट इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि अगर अप्रार्थी द्वारा बिना भू. रूपान्तरण करवाये भूमि का टुकड़ों मे बेंचान व निर्माण कार्य करता है तो तहसीलदार रायसिंहनगर पुनः इस वाद पत्र/प्रार्थना पत्र को रिस्टोर करवाकर आगामी कार्यवाही करे। अप्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि बिना संपरिवर्तन करवाये भूमि का भू.उपयोग परिवर्तन नहीं करे। टुकड़ो/प्लाटों में बेचान नहीं करें।

आदेश

उक्त विवेचन व शर्ताधीन वाद अन्तर्गत धारा 177–209–92 ए आरटीएक्ट खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र}
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:07:35 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner